

बर्ष 2014-15 से सम्बन्धित सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4 के उपधारा 1 के प्रावधान अन्तर्गत 16 बिन्दुओं की अद्यतन सूचना।

क0सं0	बिन्दु	उत्तर
1	अपने संगठन की विशिष्टियों कृत्य और कर्तव्य	नलकूप खण्ड, शाहजहाँपुर के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता नलकूप मध्य सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश एवं अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मण्डल संचालन के आधीन है जो सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम खण्ड है। खण्ड के अन्तर्गत नलकूप/पाइप लाइन नलकूपों रख-रखाव का कार्य किया जाता है। उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु इस खण्ड के पाँच उपखण्डीय कार्यालय कार्यशील है जिनमें प्रथम उपखण्ड के कार्यालय का मुख्यालय पुवायां, द्वितीय एवं चतुर्थ उपखण्डीय कार्यालय का मुख्यालय शाहजहाँपुर में स्थित है। तृतीय उपखण्ड का मुख्यालय जलालाबाद एवं पंचम उपखण्ड का मुख्यालय तिलहर में स्थित है। खण्ड के अधिकारी/कर्मचारी का वेतन भुगतान शासन द्वारा अवंटित बजट से होता है। तथा बजट के सापेक्ष वेतन अहारण शाहजहाँपुर कोषागार से किया जाता है।
2	अपने संगठन की विशिष्टियों कृत्य और कर्तव्य	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अधिशासी अभियन्ता</li> <li>2. सहायक अभियन्ता 1/2/3/4/5</li> <li>3. उपराजस्व अधिकारी</li> <li>4. खण्डीय लेखाधिकारी</li> <li>5. अवर अभियन्ता</li> <li>6. अनुसचिवीय अधिष्ठान</li> <li>7. राजस्व अधिष्ठान</li> <li>8. ड्राइंग स्टाफ</li> <li>9. चतुर्थ श्रेणी</li> </ol>	<p>खण्ड के अन्तर्गत उपखण्डों के समस्त कार्यों का विवरण।  उपखण्डों के अन्तर्गत अवंटित कार्यों का सम्पादन।  मुख्यता सींच सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन।  वित्तीय हस्तपुस्तिका का खण्ड-6 के पैरा-98 में निहित मुख्यता लेखा। का संग्रह करता तथा बाउचर इत्यादि की जाँच कर्ता एवं वित्तीय सलाह के रूप में संपादन।  कार्य स्थल पर कार्यों को मानकों एवं गुणवक्ता के साथ कराना।  कार्यालय के पत्रावलियों का सम्पादन एवं अभिलेखों का रख-रखाव।  राजस्व सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन।  ड्राइंग सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन।  अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन।</p>
3	विनिश्चित करने की प्रक्रिया संचालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें परिवेक्षण और उत्तर दायित्व के माध्यम समलित हैं।	उपखण्डों में कराये गये कार्यों का निरीक्षण तथा कार्यों की गुणवक्ता सुनिश्चित करना/कराना।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा सीमित मापमान।	नलकूपों के द्वारा कृषकों को सिंचाई उपलब्ध कराना एवं कृषकों की समस्याओं का समाधान कराना तथा उपखण्डीय अधिकारियों को कृषकों की समस्याओं के निराकरण हेतु निर्देशित कर निराकरण कराना।

5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियमय, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	विभाग में उ0प्र0 राज्य सरकार कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली कार्यों के सततम्पादन के लिए विभाग का मैनुअल है वित्तीय हस्तपुस्तिका प्राविधान एवं शासन का प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता नलकूप मध्य/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जारी शासनादेशों का पालन करने हेतु अधीनस्थ उपखण्डीय आधिकारियों को निर्देशित कर सुनिश्चित करना कार्यों का सम्पादन सिंचाई विभाग की विशिष्टियों एवं लागू निर्णय के अनुरूप कराया जाना एवं कार्यों के अभिलेखों का रख रखाव के अनुसार किया जाना तथा अधीनस्थ सहायक अभियन्ताओं को तदानुसार निर्देशित करना।
6	ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवणों का विवरण।	अभिलेखों का वर्गीकरण सिंचाई विभाग मेनुअल में निर्धारित अभिलेखो वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये प्राविधान के अनुसार कराया जाना है।
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियों जो उसकी नीति के संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है।	खण्ड के अन्तर्गत प्रत्येक माह के द्वितीय बुधवार को प्रशासनिक भवन शाहजहाँपुर पर सिंचाई बन्धु समिति की बैठक आमंत्रित की जाती है। जिसके अन्तर्गत कृषकों की समस्याओं पर उनसे विचार-विमर्श करने उपरान्त समाधान किया जाता है।
8	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप में या इस बार में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया गया है की क्या उयन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी।	जनपद स्तर पर गठित समितियों से सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाता है।
9	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका।	कार्यालय दूरभाष संख्या-05842-224967 आवासीय दूरभाष संख्या-05842-222933 प्रथम उपखण्ड पुवायां सी0यू0जी0 नं0-9454414406 द्वितीय उपखण्ड, शाहजहाँपुर। नं0-9454414406 तृतीय उपखण्ड, जलालाबाद शाहजहाँपुर। नं0-9454414406 पंचम उपखण्ड, तिलहर। नं0-9454414399 चतुर्थ उपखण्ड, शाहजहाँपुर नं0-9454414399



14	किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके पारित हो।	विभाग में कम्प्यूटर फ़ैक्स उपलब्ध है। इण्टरनेट अभी चालू स्थिति में नहीं है।						
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नगरियों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टिया, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उद्योग के लिये अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घण्टें सम्मिलित हैं।	भारत का कोई नागरिक वांछित सूचना कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में नियमानुसार प्राप्त कर सकता है।						
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियां हैं।	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत जनपद शाहजहाँपुर सिंचाई विभाग हेतु जनसूचना अधिकारी एवं सहायक जनसूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य अभियन्ता नलकूप मध्य सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के अधीनस्थ नामित जो निम्नवत् हैं।</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="748 926 1198 1045">1. श्री देव प्रकाश</td> <td data-bbox="1198 926 1588 1045">अधीक्षण अभियन्ता अपीलीय अधिकारी नलकूप मण्डल, बरेली।</td> </tr> <tr> <td data-bbox="748 1045 1198 1165">2. श्री अभयराज यादव</td> <td data-bbox="1198 1045 1588 1165">अधिशाली अभियन्ता जनसूचना अधिकारी नलकूप खण्ड, शाहजहाँपुर।</td> </tr> <tr> <td data-bbox="748 1165 1198 1285">3. श्री शशी शेखर दीक्षित</td> <td data-bbox="1198 1165 1588 1285">सहायक अभियन्ता चतुर्थ सहायक जनसूचना अधिकारी नलकूप खण्ड, शाहजहाँपुर।</td> </tr> </table>	1. श्री देव प्रकाश	अधीक्षण अभियन्ता अपीलीय अधिकारी नलकूप मण्डल, बरेली।	2. श्री अभयराज यादव	अधिशाली अभियन्ता जनसूचना अधिकारी नलकूप खण्ड, शाहजहाँपुर।	3. श्री शशी शेखर दीक्षित	सहायक अभियन्ता चतुर्थ सहायक जनसूचना अधिकारी नलकूप खण्ड, शाहजहाँपुर।
1. श्री देव प्रकाश	अधीक्षण अभियन्ता अपीलीय अधिकारी नलकूप मण्डल, बरेली।							
2. श्री अभयराज यादव	अधिशाली अभियन्ता जनसूचना अधिकारी नलकूप खण्ड, शाहजहाँपुर।							
3. श्री शशी शेखर दीक्षित	सहायक अभियन्ता चतुर्थ सहायक जनसूचना अधिकारी नलकूप खण्ड, शाहजहाँपुर।							

अधिशाली अभियन्ता  
नलकूप खण्ड, शाहजहाँपुर।